

देश के किसी भी चुनाव में केवल वही मतदान करने के अधिकारी हो सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। जो भारत के नागरिक नहीं हैं, किसी तरह मतदान मत बैठें हों वे भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। उचित यह होगा कि भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार तैयार करने की दिशा में अग्रे बढे।

बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सुझाव को आदेश में बदल दिया कि चुनाव आयोग आधार को मान्यता दे। इस फैसले से बिहार के उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए 11

दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन आधार है। चुनाव आयोग इस कारण आधार को मान्य नहीं कर रहा कि उसे गलत तरीके से बनवाया गया हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह अवश्य स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को नकली आधार जांचने का अधिकार होगा, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बड़ी संख्या में आधार गलत तरीके से बनवा लिए जाते हैं।

इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने मूलतः तरीके से आधार हासिल कर लिया है, उन्हें मतदाता बनने से नहीं रोका जा सकता। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूचियों के सत्यापन की तैयारी कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में सभी भारतीय

नागरिकों को उनकी नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके हैं।

की सुप्रिम कोर्ट ने केवल जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को ही नागरिकता का प्रमाण माना है। यह सही भी है, लेकिन अपने देश में अनेक लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं और पासपोर्ट तो बहुत कम लोग बनवाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आधार एक्

अन्य प्रमाण पत्रों की तरह जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बनवाए जा सकते हैं। अच्छे यह होगा कि भारत सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करे कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र देश के लोगों को कैसे दिया जाए, जो उन्हें भारत का नागरिक साबित करे।

ऐसा किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। जब चुनाव आयोग को यह संदेह है कि बिहार में बांग्लादेश, थायलैंड और नेपाल के लोग मतदाता बन बैठे हैं तो फिर

सीमावर्ती राज्यों में तो इससे इन्कार ही नहीं किया जा सकता। पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल में बॉलबादश से अवैध तरीके से आए तमाम लोग नकली प्रमाण पत्रों के सहारे मतदान बना बैठे हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि कहीं-कहीं वे चुनाव नतीजे प्रभावित करने में सक्षम हैं। ऐसे लोगों को कुछ दल अपने संरक्षित स्थलों के लिए संकेलण भी देते हैं। देश के किसी भी चुनाव में संकेलण वही मतदान करने के अधिकारी हो सकते हैं, जो भारत के नागरिक हों। जो भारत के नागरिक नहीं और किसी तरह मतदान बना बैठे हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं।

जब तीन दोस्तों ने मिलकर बना
लिया अपना अलग देश!.. अटलांटियम
साम्राज्य' की अनोखी कहानी

खुशबू सिंह

कल्पना कीजिए, आप और आपके दो दोस्त मिलकर अपने घर के आंगन में एक या दो शेर बैठ देते हैं। अपना झंडा, अपनी मुद्रा, अपना राक्षाना और यहां तक कि अपना सम्राट भी! ये कोई कहानी कहानी नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 44 साल पहले घटी एक वास्तविक घटना है। तीन युवा दोस्तों ने साहसिक प्रयाग के रहत 'अंटार्कटिका सम्राज्य' की नींव रखी, जो आज दुनियाभर में शाहक्रीमों के सबसे चर्चित उदाहरणों में से एक है। आइए इस रोचक सफर की पड़ताल करें, जहां सपने और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं।

शुरुआत - एक छोटी-सी लकीर से बड़ा सपना

1981 में सिड्नी के रहने वाले जॉर्ज स्कूडर-ग्रेफ और उनके दो साथियों ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने अपना घर के पक्के मूड़न 10 वॉल मीटर की जमीन पर एक काल्पनिक सीमारेखा खींची और घोषणा कर दी कि यहां से शुरू होता है हमारा अपना देश। स्कूडर-ग्रेफ ने खुद को सम्राट घोषित किया और इस पर 'साम्राज्य' नाम का नाम रखा अटलांटिया। नीबीसी की एक रिपोर्ट में इसकी बातें बताई गई हैं, जहां ये दोस्त राजनीति, इतिहास और स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित थे। शुरू में ये पत्रिका जैसा लगाना, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। अपना झंडा डिजाइन किया, मुद्रा छपी, डाक टिकट जारी किए और एक भावपूर्ण राखण भी रचा।

ये सिर्फ खेल नहीं था; ये एक वैचारिक प्रयोग था। कस्बेकरीक का मानना था कि देश बनने के लिए बड़े क्षेत्र या सेनाओं की जरूरत नहीं, बल्कि इच्छाशील और रचनात्मकता काफी है। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे सैकड़ों माइक्रोनेशन हैं, जो खुद को संघभू मानते हैं, लेकिन वैश्विक मानचित्र पर कहीं नजर नहीं आते।

राजधानी वैश्विक तक-समय के साथ अटलांटिस में
पंख फैलाए। 2008 में, कस्बेकरीक ने सिडनी से 350 किलोमीटर दूर 80 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इसे अपनी राजधानी 'ओरिए' घोषित कर दिया। आप ये छोटो-सा साम्राज्य एक जीवंत जगह बन चुके हैं। यहां एक सरकारी आवारा है, जहां 'सम्राट' अपने सत्तातां बिताते हैं। एक छोटा डकघर है, जहां से टिकट और कार्ड जारी होते हैं। और सबसे आकर्षक 13 फीट ऊंचा एक पिरामिड, जो कैप्टिलेनडॉम स्थंभ के सामने खड़ा है, मानो प्राचीन सभ्यताओं की याद दिलाता हो।

बहुदेशीयता आज भी सक्रिय है। वे कॉन्फ़ेडरल प्रांत में रहकर नीतियां बनाते हैं, दुनिया के अन्य मातृदेशों को 'नेताओं' से पत्र व्यवहार करते हैं। दिलचस्प बात ये है कि अटलांटिक की आबादी अब 3,000 से ज्यादा है और ये नागरिक 100 से अधिक देशों से आते हैं। लेकिन ज्यादातर ने कभी इस 'देश' की मिट्टी नहीं छुई। नागरिकता ऑनलाइन फॉर्म भरकर मिलती है और ये एक वैश्विक समुदाय की तरह काम करता है। विचारों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक जुड़ाव और हल्की-फुल्की राजनीति।

क्या है **माइक्रोनेशन** की **हकीकत**-अन सवाल यह है कि क्या अत्याधुनिक सचमुच एक देश है कच्ची-कच्ची का दावा है कि ये 1933 के मोटोवीजों सम्मेलन के सभी मानकों पर खड़ा उतरता है-स्थायी जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, अपनी सरकार और अंतराष्ट्रीय संगठन। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी देश या अंतराष्ट्रीय संघ नहीं मान्यता नहीं देता। सिडनी विश्व विद्यालय के विशेषज्ञ हैरी हॉल्स कहते हैं, 'माइक्रोनेशन खुद को देश कह सकते हैं', लेकिन बिना बाहरी मान्यता के ये सिर्फ एक कल्पना रह जाती है।' माइक्रोनेशन की दुनिया बड़ी विचित्र है। ये के जगह हैं, जहां लोग अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। लेकिन जानूँ तो पर उनके पास कोई संप्रभु अधिकार नहीं होता। कुछ राजनीतिक असंतोष के जन्म लेते हैं, कुछ मजान में और कुछ गंभीर सामाजिक कारणों के रूप में। उदाहरण के लिए माइक्रोनेशन जैसे राष्ट्र पर्यावरण, शान्ति या वैश्विक नागरिका जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

सपनों की कोई सीमा नहीं—अटलांटियम की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं। तीन दोस्तों का ये छोटा सा प्रयोग आज हजारों लोगों को प्रेरित कर रहा है। अगर आप भी कुछ हटकर सोचते हैं तो शायद आपका अपना 'साम्राज्य' इंतज़ार कर रहा हो! लेकिन याद रखें, असली दुनिया में सीमाएँ और कानून अपनी जगह याद रखते हैं तो क्या आप ऐसे किसी माइक्रोनेशन में शामिल होना चाहेंगे

देश में हो रही लव जिहाद की घटनाओं ने हिला रख दिया। जिहादी हर रोज नए-नए पैतरोँ से अपनी सारी क्षमता का प्रयोग करते हुए हर रोज सैकड़ों लड़कियों को शिकार बना रहे हैं। केरल जैसे राज्य में तो सारी हदें जब पार हो गई तब जुलाई के महीने में कोर्ट मैरिज के पचास आवेदन आए और सारे के सारे आवेदन में सभी लड़के मुस्लिम थे और लड़कियाँ हिंदू। हर रोज राज्य स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून भी बन रहे हैं लेकिन

राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए और कठोर प्रावधानों के साथ नया विधेयक लाने का फैसला किया है। इसके तहत 'राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025' का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

“

योगेश कुमार सोनी

मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कानून लागू हुआ जिसमें अधिनियम के तहत दोषी को 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह एक कानून सामूहिक धर्मांतरण को भी बंद करता है। इस अधिनियम के अनुसार, जो कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूरी जानकारी के साथ घोषणा करनी होगी। वहीं कोई भी धार्मिक पुरोहित जो धर्मांतरण समारोह आयोजित करना चाहता है, उसे भी 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होती है। इसके अलावा उरु प्रदेश व हरियाणा के साथ तमिल राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं लेकिन स्थिति सुघरने की बजाय हर रोज बिगड़ रही है। बीते दिनों जम-जमाद, पैसा देकर जमाद, केब जिहाद जैसे कई नए-नए तरीके के अजिबाद सामने आए। देश में लव-जिहाद को लेकर एक जीवद सी स्थिति बन चुकी। कुछ संठाओं ने जब कट्टर मानसिकता के लोगों को पकड़ तो उन्हें अंदर-अंदर तह के राज उगले। जो बताया वह बेहद अश्रेय-वर्णित करने वाला था। उनके अनुसार उनकी लड़कियों को फसाकर निकाह करने पर पैसा मिलता है। यह भी बताया कि लड़की से शादी करने उन्हें छेड़कर फिर किसी अन्य किसी लड़की को फसाए जाने को कहा जाता है। जितनी ज्यादा लड़कियां उतनी ज्यादा पैसा मिलता रहता है। इसके अलावा जिहादियों की गिरफ्त से छुटी लड़कियों ने बताया कि हमें सनातन धर्म की बुराई करके इस्लाम को अच्छा बताकर मांडंड ड़इवंत किया और हर रोज हमें कुछ भभूती खिलाने थे।साथ ही बॉलीवुड का उदहरण देते थे कि बॉलीवुड में जितने भी मुसलमान होंगे है उनसे सभी बंद धराने की हिंदू लड़कियों ही शादी करती है। इसके अलावा यह उदहरण दिया कि बॉलीवुड में मुसलमान लड़कियों ने काम करना बंद कर दिया। सना खान व जायरा सयम ने यह कहकर बॉलीवुड छोड़ के अमरावत सभ्य उहे इजाजत नही देते लेकिन सूत्रों के अनुसार समख यह आया था कि उन्हें कुछ आतंकी रूप से धमकी मिलती थी कि उन्हें इस्लाम का हवाला देकर बॉलीवुड छोड़ना है। बहरहाल, वहीं लव-जिहाद व धर्मांतरण को लेकर सेंटों का यह कहना है कि हमारे लोग बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक नहीं करते। पूजा-पाठ व अपने धार्मिक ग्रंथों की जानकारी नहीं देते वहीं इसके विपरीत मुस्लिम लोग अपने बच्चों को बचपन से अपने धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। उनके यहां दस साल का बच्चा रोज राखते हैं कोई बचपन से ही उनकी कुरान पूरी तरह

से पढ़ाई व समाझाई जाती है लेकिन हिंदुओं में व्यक्त होने के बाद तक भी उनको हनुमान चालीसा व एक भी चौपाई याद नहीं होती। जहां हम एक ओर एकता का पाठ पढ़ाते हैं वहीं जिहादी अंतो शुरुआत से नफरत करना सिखाते हैं। इसके अलावा एक शिक्षक ने बताया कि स्कूलों के बाहर बहुत सारे मुसलमान लड़के खड़े होते हैं और वह केवल हिंदू-मुसलमान को ही टारगेट करते हैं। वहीं नीते दिनों जम्मू-जिहाद देशभर में बहुत गूंजा जिस पर कुछ हिंदू संगठनों ने कहा कि जम्मू में केवल हिंदू लड़कियां व महिलाएं ही आती है, एक भी मुस्लिम महिला व लड़की नहीं आती और जितने भी ट्रेने हैं वह सभी मुस्लिम हैं। कुछ मुस्लिम पूंजीपतियों ने अपने जम्मू खोले जिसमें सभी पुरुष ट्रेन मुस्लिम थे और लड़कियां हिंदू हैं और यदि कोई मुस्लिम लड़की आ भी जाती थी तो उसको जम्मू में एडमिशन देने से मना कर दिया। दरअसल, हम लोग इस बात की गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन सबकी नजर इस समय हिंदुस्तान पर ही है। भारत को इस्लामिक करने में कई देश व कट्टर इस्लामिक संगठन लगे हुए हैं। एक विशिष्ट मुस्लिम लेखक में अपने एक लेख में कहा है कि 'हिंदुस्तान को हुकुमत सोई हुई है और यदि ऐसा ही रहा तो 2040 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा और कट्टरपंथी उसके कुछ वर्ष बाद हिंदुओं का पाकिस्तान में रह रहे जैसे हिंदुओं जैसा हाल करेगा। उन्होंने कहा कि बटवारे के बाद भारत में 3.54 करोड़ मुसलमान थे और

आबू इन्की आबादी लगभग 30 करोड़ हो चुकी वहीं इसके विपरीत पाकिस्तान में जनसंख्या के हिसाब 15 प्रतिशत हिंदु थे और अब केवल एक प्रतिशत भी पूरे नहीं बाचे। इससे कुछ लोगों को निरयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेखक की इस बात को सही ठहराते हुए आंकड़ों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि हिंदू निश्चित तौर पर सोए हुए हैं व अपने वजनों, खासतौर पर लड़कियों वहाँ जान देने दा रहे जिसकी उनको जरूरत है। अपने बचियों को कट्टरपंथियों से बचना होगा अन्यथा हालात और भी खुरदरे हो सकते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता में सभी का योगदान जरूरी है। आकलन सोशल मीडिया के दौर में फैसम होने के लिए नगमत ने अपने पूरे पैर पसार रखे हैं जिनमें 99 प्रतिशत हिंदुओं लड़कियाँ ही दिखेंगी और जिहादियों पर उनकी नजर रहती है। और वहाँ भी यू-ट्यूबर बनकर उनको शिकार बना रहे हैं। बीते दोनों एक आकड़ों के अनुसार जितनी भी हिंदू यू-ट्यूबर लड़कियाँ थी अधिकतर उनके सभी के बॉयफ्रेंड मुसलमान लड़कें हैं। यह भी एक किस्म का जिहाद माना जा सकता है। इसलिए अब समय के साथ जानाहद हो जाना ही बेहतर है अन्यथा आने वाला समय चिंताजनक होगा। प्रेम करना अपराध नहीं लेकिन किसी गलत हाथों पर पड़कर अपनी जिंदगी व अपने घरवालों के सम्मान के साथ खेलने वाली लड़कियों अब समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही।

चुनाव आयोग ने छुपाई सच्चाई

अस्वीकार कर दिया है और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है।

मैं कभी नहीं भूलूंगा-समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार गाड़ियों पर करीब 8 लाख रुपए का ओवरस्पेंडिंग चालान काट जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय से यह चालान जमा कर देती, लेकिन आम जनता इतनी भारी रकम नहीं चुका सकती। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चालान की व्यवस्था भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा चलाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने 'येटी छोड़ो' चालान को भी याद दिलाया। अखिलेश ने कहा कि यह झूठ आरोप उन पर मढ़ा गया था और इस साजिश में तत्कालीन आईएएस अवनीश अवस्थी की भूमिका रही। उन्होंने साफ कहा कि मैं वह मामला कभी नहीं भूलूंगा, एक अखबार ने इस पर सिटिंग भी किया था। अखिलेश ने भाजपा सरकार को

घेरते हुए कहा कि उसे जनता और बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतिशोध पर।

भाजपा के मंत्री पद का ऑफर उक्रायना-समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें भाजपा के नेता अमित शाह के संपर्क में आने के बाद मंत्री पद का प्रस्ताव मिला था। भाजपा में शामिल होने के ऑफर में उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बनने का मौका दिया गया था, लेकिन शिवपाल यादव ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद कभी सत्ता पकड़ पन नहीं रहा और वह हमेशा समाजवादी विचारधारा के प्रति वफादार रहे हैं। शिवपाल यादव ने यह भी बताया कि मुलामुल सिंह यादव के कदम पर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जो बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई।

भावनाएं भड़काने वाली राजनीति, रहना होगा सावधान

भारत के मुसलमानों को अरब के कुछ इस्लामी देशों से सीख लेनी चाहिए जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ। वे एक उदार इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं ये देश कट्टरपंथियों के सोच और उनकी वरुत्ता से अपने युवाओं को दूर रख रहे हैं। ये इस्लामी देश अपने देश के लोगों को सुसंस्कृत नागरिक बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह के जीर्णोद्धार शिलापट्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र की उपस्थिति ने ईद-ए-मिलाद (पैगंबर का जन्मदिन पांच सितंबर) पर मसिजद जाने वाले कुछ कश्मीरी मुसलमानों में आक्रोश भड़का दिया। अशोक चक्र को निशाना बनाकर की गई तोड़फोड़ की घटना ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

संध्या जैन ।

यह मुद्दा इस्लाम के भीतर और इस्लाम एवं अ-इस्लाम के भीतर की संवेदनशीलताओं के बीच है। चूंकि रजनीति इस विवाद में शामिल नहीं आई, इसलिए इस विषय की निष्पक्ष पड़ताल संभव है। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अस्सरी जमात के हजरतल्लह दरागाह का जीओएनए करायत इस्का उद्घाटन तीन सितंबर, 2025 को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डा. सैयददह हुसैन, उपाध्यक्ष डॉ. शिलापट्ट पर अंकित व सदस्यों में सैयद मोहम्मद हुसैन, जम्मू नवी हलीमा, बोर्ड के तहसीलदार अलीम अली मोहिउद्दीन और इंजीनियर सैयद गुलाम अर्जुन शामिल हैं। शिलापट्ट के शीर्ष पर बीच में एक उर्दू पाठ है। दाहिनी ओर अर्धचंद्र के अंदर नाफ़्ज़ और का चित्र है और बाईं तरफ़ उसी का एक इब्रात का था। यह निश्चित है कि अशोक पर तीन सितंबर को ही ध्यान दिया गया। बीच का सिंबल एक असहमति या विरोध का भी आवाज़ नहीं उठा। पांच सितंबर को ही यह प्रकट किया गया।

पहले पुरुषों और फिर महिलाओं के एक-एक करके हथियारों से हथियारों में अंकित करके तोड़फोड़ कर उसे मिटा दिया। ऐसा

प्रतीत होता है कि यह हरकत सोच-समझकर की गई। आश्चर्यजनक रूप से राजनीतिक नेताओं द्वारा इसे तोड़फोड़ का बचाव किया गया। वे इस मामले को बोर्ड या राज्यपाल के समक्ष निजी तौर पर उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग और लोगों को भड़काने वाला रवैया अपनाया। उनका इरादा कश्मीर के साथ देश में भावनाओं को भड़काने का प्रतीत हुआ। यह तर्क पूरी तरह खोखला लगता है कि व्हिप्पे में संसद भवन में बने शेर प्रतीकात्मक हैं और दरवाजे के धार्मिक मूर्तियों के साथ असंगत हैं।

हजरतबल दरगाह की प्रसिद्धि
एक पवित्र अवशेष, पैगंबर मुहम्मद
की दाढ़ी के एक बाल के कारण है,
जिसे मोईद-ए-मुकर्रम कहा जाता है।
इसे पैगंबर के व्यक्तिगत प्रतीक के
रूप में सम्मान दिया जाता है, हालांकि इसकी
औपचारिक रूप से इबादत नहीं की जाती।
सम्मान उठता है कि क्या अशोक चक्र को
गावंतंत्र के प्रतीक के रूप में उस पट्टिका पर
सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी
औपचारिक रूप से इबादत नहीं की जा रही थी
अंदरूनी ने इस तथेकोषों की निंदा करते हुए इसे
एक "आतंकवादी हमला" और संविधान,
दरगाह की गरिमा और राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला
बनाया।

उन्होंने इस उपद्रव के लिए नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया और इसे वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण न रख पाने की उनकी हताशा से जोड़ा। इस कथन में कुछ दम नजर आता है। इसलिए और भी, क्योंकि पूर्व



मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने मस्जिदों और दरगाहों पर नियंत्रण करके और उन्हें वक्फ बोर्ड के अधीन लाकर कश्मीरी मुसलमानों के एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाई थी। यह उनकी राजनीति का आधार स्तंभ था। शायद नेशनल कांफ्रेंस को वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण न होने का अफसोस है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से दरगाह के शिलापट्ट में अशोक चक्र के साथ की गई तोड़फोड़ का समर्थन किया।

उन्होंने महबूबी स्थल पर अशोक चिह्न लगाने पर सवाल उठाया और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने का भी विरोध किया। उमर अब्दुल्ला की बातों का समर्थन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एवं उनकी बेटी ने भी किया।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरगाहों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न रखना ईशनिर्दा के समान है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध प्रदर्शन = प्रतीक चिह्न के खिलाफ नहीं =, बल्कि = मूर्ति = पूजा = के खिलाफ था। माकपा नेता और विधायक एमवाई तारिगामी और मीरवाइज उमर फारूक ने भी प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया।

इस मामले में यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर तीन या चार सितंबर को किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई इस सवाल के बीच कुछ मुसलमानों ने प्रदर्शनकारियों की यह कहते हुए आलोचना की कि अशोक स्तंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा और राष्ट्रीय प्रतीक है। मस्जिद के बाहर शिलापट्ट पर उसकी उपस्थिति न तो नमाज में बाधा डालती है और न ही मजहबों आस्था को किसी तरह का नुकसान पहुंचाती है। दैहलियम सवाल यह है कि अशोक चक्र हज्ज पदचान पत्रों पर भी अंकित है और भारतीय

पासपोर्ट पर भी। इसी कारण ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि अशोक चक्र का विरोध करने वाले का क्या हक था? के दौरान भारतीय पासपोर्टों का विरोध करेगे इस विवाद के बीच आठ सितंबर को सोशल मीडिया पर हजतबल सराह्य पर लोग एक हेर और सफेद रंग के होडिओ की तस्वीर सामने आए। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान (2017-2022) लगाए गए इस होडिओ पर अशोक चक्र अंकित है और योजना का संदेश लिखा है। यह केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय (2014-15) की एक पहल थी, यह एक ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए है। यह आलोचक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि नेशनल काफ़ेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक का विरोध पूरी तरह राजनीतिक है तो उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि कई इस्लामी देशों की मस्जिदों की होडिओस-शिलापट्ट में मेवा के राष्ट्रीय प्रतीक अंकित हैं। भारत के मुसलमानों को अरब के कुछ इस्लामी देशों से सीख लेनी चाहिए, जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ। वे एक उदाहरण का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश कट्टरपंथियों के सोच और धर्म की वक्तूरत से अपने युवाओं को दूर रख रहे हैं। ये इस्लामी देश अपने देश के लोगों को सांस्कृतिक नगरिक बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। इसलिए भारत के मुसलमान इन इस्लामी देशों के मुसलमानों का अनुकरण क्यों नहीं कर सकते।

